रेल दावा अधिकरण, नागपुर पीठ, नागपुर के समक्ष

कोरम : सुश्री आर. सत्यभामा, माननीय सदस्य (न्यायिक) रेल दावा अधिकरण,नागपुर
श्री सैयद निशात अलि, माननीय सदस्य (तकनीकी) रेल दावा अधिकरण,नागपुर

विविध आवेदन सं. एमए/एनजीपी/18/2020 (विलंब माफी हेतु)
(दिनांक 09.10.2020 को विलंब माफ किया गया)

दावा आवेदन संख्या - ओए (।। यू)/ एनजीपी/39/2020
दावा दर्ज करने की तिथि - 12.03.2020
निर्णय तिथि - 23.10.2023

वादी 1. श्री कलाम शेख सुपुत्र साहिद शेख
उम्र 63 वर्ष, व्यवसाय- मजदुर

निवासी – चारबाबुपुर, रामाशंकर टोला
चारबाबुपुर, मालदा
पश्चिम बंगाल - 732127

बनाम

प्रतिवादी: भारत संघ
द्वारा महाप्रबंधक, मध्य रेलवे, सीएसटी, मुंबई

आवेदक की ओर से एडवोकेट के.यू.फुले (अनुपस्थित)
प्रतिवादी की ओर से एडवोकेट एन. रामटेके

निर्णय

दिनांक 23 अक्टूबर 2023 को नागपुर में पारित
दावे की राशि रु.8,00,000/- + ब्याज

आवेदक ने यह दावा श्री रकीउल इस्लाम सुपुत्र कलाम शेख की अनपेक्षित दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के कारण मृतक के पिता का मृतक पर आश्रित होने के नाते से प्रतिवादी रेलवे के विरूद्ध रेल दावा अधिकरण अधिनियम की धारा 16 के तहत इस अधिकरण में मामला दाखिल किया है और प्रतिवादी रेलवे से रु.8,00,000/- के मुआवजे की मांग की है।

आज दिनांक 21.09.2023 को बार-बार बुलाने पर भी आवेदक एवं आवेदक के अधिवक्ता अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अतः इस मामले में रेल दावा अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1989 के नियम 18(1) के तहत कार्यवाही की जाती है, जो इस प्रकार है –

> 18(1) जहां आवेदन की सुनवाई के लिए नियत तारीख को या किसी अन्य तारीख को जिसको ऐसी सुनवाई स्थगित की जाए, आवेदक उस समय उपस्थित नहीं होता है जब आवेदन की सुनवाई के लिए पुकार हुई थी जहां अधिकरण अपने विवेकानुसार, व्यतिक्रम के कारण आवेदन को खारिज कर सकेगा या उसकी सुनवाई कर सकेगा और गुणागुण के आधार पर विनिश्चय कर सकेगा।

1. दावा आवेदन के अनुसार दुर्घटना के मुख्य अंश :-

क. दुर्घटना की तिथि	:	01.01.2018
ख. मृतक का नाम एवं उम्र	:	श्री रकीउल इस्लाम सुपुत्र कलाम शेख,उम्र 22 अविवाहित
ग. आवेदक का मृतक से रिश्ता	:	आवेदक मृतक का पिता है।
घ. ट्रेन एवं यात्रा का विवरण	:	मृतक खालतिपुर से वर्धा जंक्शन की यात्रा गीतांजलि एक्सप्रेस से कर रहा था।
ङ. टिकट का विवरण	:	मृतक ने खालतिपुर से वर्धा जंक्शन तक की यात्रा के लिए अनारक्षित टिकट सं. 90518476 दिनांक 29.12.2017 खरीद किया था। जिसे दावा आवेदन के साथ प्रस्तुत किया है।
च. संक्षिप्त में घटना का विवरण	:	मृतक अनारक्षित रेल यात्रा टिकट सं. 90518476 दिनांक 29.12.2017 खरीद कर खालतिपुर से वर्धा जंक्शन की यात्रा गीतांजलि एक्सप्रेस से कर रहा था। ट्रेन में अत्याधिक भीड होने और चलती ट्रेन को अचानक लगे जोर के झटके के कारण अपने शरीर का संतुलन खो जाने से मृतक सेलु रोड स्टेशन और सेवाग्राम स्टेशन के बीच किमी सं. 766/23-25 मौजा पवनार शिवार के पास चलती ट्रेन से नीचे गिर कर गंभीर रुप से जख्मी हो गया और घटना स्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई।
छ. अधिकरण का क्षेत्राधिकार	:	घटना स्थल अधिकरण के क्षेत्राधिकार में आता है।

2. **प्रतिवादी रेलवे के जवाब के मुख्य अंश :**

अ. प्रतिवादी रेलवे ने लिखित कथन में दावा आवेदन के सभी तथ्यों एवं अनपेक्षित दुर्घटना को मानने से इंकार करते हुए कहा कि रिकार्ड पर दाखिल टिकट बोगस और झुठी है । आवेदक के अनुसार मृतक गीतांजलि एक्सप्रेस से यात्रा कर रहा था और उक्त ट्रेन सेलु रोड से 09.01 बजे थ्रू गई थी एवं मृतक की बॉडी 05.00 बजे मिली थी । जिससे साबित होता है कि मृतक ट्रेन सं. 12860 गीतांजलि एक्सप्रेस से यात्रा नही कर रहा था । सभी परिस्थितियां स्पष्ट करती हैं कि यह स्वयं को पहुंचाई गई चोट का स्पष्ट मामला है जिसके लिए रेल प्रशासन जिम्मेदार नही है । अतः प्रतिवादी रेलवे आवेदक को मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं है ।

ब. **डीआरएम रिपोर्ट का सार :-** डीआरएम रिपोर्ट के निष्कर्ष के अनुसार सेवाग्राम पुलिस से प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार मृतक के पास रेलवे टिकट खाल्तिपुर से वर्धा जंक्शन तक पाया गया परंतु दावाकर्ता और मृतक के मौसेरे भाई के बयान के अनुसार रकीउल इस्लाम को नागपुर जाना था । दावाकर्ता के अनुसार मृतक गीतांजलि एक्सप्रेस से यात्रा कर रहा था परंतु उक्त ट्रेन सेलु रोड से 09.01 बजे पास हुई जबकि घटना इससे पूर्व समय 05.00 बजे प्रकाश में आ चुकी थी । इससे स्पष्ट होता है कि मृतक गीतांजलि एक्सप्रेस से यात्रा नही कर रहा था । SSE/PWAY/SEGM के अनुसार दिनांक 01.01.2018 को उक्त रेलवे ट्रैक में कोई खराबी नही थी । मृतक रकीउल इस्लाम द्वारा ट्रेन से यात्रा कर घटनास्थल पर मृत पाये जाने के कारणों का पता नही चल पाया है । किसी ने मृतक को घटनास्थल पर गिरते हुए नही देखा है ।

स. **ट्रायल के दौरान किए गए प्रतिवाद या डीआरएम रिपोर्ट से भिन्न तथ्य :- कुछ नहीं**

3. **मिसाल के तौर पर प्रस्तुत किए गए मामले एवं उनका अंश :- कुछ नहीं**

4. **प्रस्तुत की गई गवाही का विवरण:-**

दिनांक 18.10.2022 को आवेदका श्री कलाम शेख सुपुत्र साहिद शेख की गवाही ए.डब्ल्यू-1 के तौर पर पेश की गई और ए-1 से ए-09 तक दस्तावेज दाखिल किए गए । श्री कलाम शेख सुपुत्र साहिद शेख ने अधिकरण के समक्ष अपनी गवाही में बताया कि जब रकीउल 05 माह का था तभी उसकी पत्नी का देहांत हो गया था । उसे 08 बच्चे है जिसमें 05 पुत्र और 03 पुत्रियां है । वह रकीउल के साथ यात्रा नही कर रहा था । उसे घटना के बारे में और यात्रा टिकट की खरीद के बारे में कुछ नहीं पता ।

अधिकरण में दाखिल अपने एफिडेविट में श्री कलाम शेख सुपुत्र साहिद शेख ने बताया कि मृतक रकिउल इस्लाम उसका पुत्र था एवं 01.01.2018 को अनपेक्षित रेल दुर्घटना में मृत हुआ था । उसका पुत्र मजदुरी का कार्य करता था एवं रोड कंस्ट्रक्शन में मजदुरी के काम के लिए वर्धा जा रहा था । मृतक ने खाल्तिपुर से वर्धा की यात्रा हेतु रेल टिकट संख्या 90518476 की खरीद की और वह गीतांजलि एक्सप्रेस से यात्रा कर रहा था। सेलु रोड और सेवाग्राम स्टेशन के बीच किमी सं. 766/23-25 के पास मौजा पवनार

शिवार में ट्रेन में अत्याधिक भीड़ होने और ट्रेन को लगे अचानक जोर के झटके के कारण मृतक के शरीर का संतुलन बिगड जाने के कारण वह चलती ट्रेन से गिर गया और गंभीर चोट लगने के कारण घटना स्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई । उसका मृत शरीर सेलु से सेवाग्राम के बीच ट्रेक के पास मिला । यात्रा के दौरान मृतक के साथ गांव के 14 अन्य मजदूर भी उसी ट्रेन से उसके साथ जा रहे थे । दिनांक 01.01.2018 को पुलिस ने पंचनामा बनाया जिसमें मृतक की पैंट की जेब से रेल यात्रा टिकट सं. 90518476 दिनांक 29.12.2017 खाल्तिपुर से वर्धा जंक्शन जब्त किया । पुलिस ने मृतक के पास से गोल्डन कलर का झेन कंपनी का मोबाइल सं. 8436905879 और आधार कार्ड सं. 6308 6343 6082 भी जब्त किया ।

दिनांक 15.11.2022 को श्री बरोडी सुपुत्र चिकु उईके/ ट्रेकमैन /सेवाग्राम की गवाही आर.डब्ल्यू-1 को तौर पर पेश की गई । दिनांक 11.08.2020 को आरपीएफ/ सेवाग्राम द्वारा रिकार्ड किए गए बयान को एक्जीबीट आर-1 के तौर पर दाखिल किया गया है । अधिकरण में दाखिल अपने एफिडेविट में उसने बताया कि दिनांक 31.12.2017 को उसकी ड्यूटी ट्रेकमैन के तौर पर 22.00 बजे से 06.00 तक की थी । दिनांक 01.01.2018 की सुबह 06.00 बजे तक उसकी ड्यूटी किमी सं. 766/00 से 769/00 तक पेट्रोलिंग करने की थी । पेट्रोलिंग के दौरान किमी सं. 766/23-25 अप लाइन पर उसे एक अज्ञात व्यक्ति का मृत देह दिखाई दिया । उसके सिर पर गंभीर चोट लगी हुई थी । इसकी सूचना तत्काल उसने पीडब्ल्यूआई श्री प्रशांत रंजन की दी । उसके पश्चात 07.00 बजे श्री हरिशंकर पटेल को घटना स्थल पर भेजा गया जिसके पश्चात उसकी ड्यूटी समाप्त हो गई । दिनांक 11.08.2020 को आरपीएफ ने उसका बयान दर्ज किया था ।

5. **निर्धारित किए गए मुद्दे एवं मुद्दों पर विचार कर लिया गया निर्णय –**

दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर निर्धारित किए गए मुद्देः-

1. **क्या आवेदक रेल अधिनियम की धारा 123 (बी) के अनुसार मृतक के आश्रित हैं ?**

रिकार्ड पर दाखिल किए गए MGIMS & Kasturba Hospital Sevagram, Wardha द्वारा जारी मृतक के FORENSIC MEDICA POST MORTEM REPORT (एक्जीबीट ए-5), और मृतक का आधार कार्ड (एक्जीबीट-7), एवं आवेदक के आधार कार्ड की प्रति (एक्जीबीट ए-8) की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक मृतक के पिता है ।

क्र.स.	नाम	मृतक के साथ रिश्ता
1.	श्री कलाम शेख सुपुत्र साहिद शेख	मृतक के पिता

आवेदक ने प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी राशनकार्ड या वारिस प्रमाणपत्र रिकार्ड पर दाखिल नही किया है जिससे यह साबित हो कि इनके अलावा अन्य कोई मृतक पर आश्रित नही है ।

कार्यवाही के दौरान किसी अन्य व्यक्ति ने मृतक के आश्रित के रूप में दावा नहीं किया । प्रतिवादी ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह स्थापित हो सके कि वे मृतक के आश्रित नहीं हैं । रेल अधिनियम की धारा 123 (बी) के तहत आवेदक मृतक पर आश्रित हैं । अतः यह मुद्दा आवेदक के पक्ष में उत्तरित किया जाता है ।

2. क्या मृतक संबंधित तिथि को वैध यात्रा टिकट के साथ कथित ट्रेन का वास्तविक यात्री था ?

दावा आवेदन के अनुसार दिनांक 01.01.2018 को मृतक खालतिपुर से वर्धा जंक्शन की यात्रा गीतांजलि एक्सप्रेस से कर रहा था । यात्रा हेतु मृतक ने खालतिपुर से वर्धा जंक्शन तक की यात्रा के लिए अनारक्षित टिकट सं. 90518476 दिनांक 29.12.2017 खरीद किया था । जिसे दावा आवेदन के साथ प्रस्तुत किया है ।

प्रतिवादी रेलवे का कहना है कि दावा आवेदन के साथ प्रस्तुत रेल यात्रा टिकट बोगस और झुठी है । अतः वह रेल का अधिकृत यात्री नही था । परंतु अपने कथन के समर्थन में प्रतिवादी रेलवे ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया और न ही रिकार्ड पर प्रस्तुत टिकट को फर्जी या बोगस साबित कर पाया ।

आवेदक ने मृतक द्वारा रेल यात्रा हेतु खरीद किया गया खालतिपुर रेलवे स्टेशन से वर्धा जंक्शन तक का सामान्य श्रेणी का अनारक्षित रेल यात्रा टिकट 90518476 दिनांक 29.12.2017 रु. 355/- दावा आवेदन के साथ प्रस्तुत किया है । जीआरपी / वर्धा द्वारा तैयार किए गए घटनास्थल पंचनामा में मृतक के पैंट की जेब से एक आधार कार्ड 6308 6343 6082 एक झेन कंपनी का मोबाइल और रेलवे टिकट खालतिपुर से वर्धा तक की जब्त किए जाने का उल्लेख है ।

डीआरएम रिपोर्ट के अनुसार सेवाग्राम पुलिस द्वारा जांच के दौरान आवेदक द्वारा रिकार्ड पर दाखिल अनारक्षित टिकट 90518476 दिनांक 29.12.2017 का सत्यापन मुख्य बुकिंग पर्यवेक्षक, खालतिपुर रेलवे स्टेशन, पूर्व रेलवे से करवाया है । इस संबंध में उनके द्वारा दिनांक 21.08.2020 को बताया गया कि As per office record this is to certify that TKT No. UTA 90518476 Dt. 29.12.2017 was issued from this office. टिकट जारी करने का समय 17.07 hrs दर्शित है ।

उपरोक्त तथ्यों एवं आवेदक द्वारा रिकार्ड पर दाखिल रेल यात्रा टिकट से यह मानना होगा कि मृतक वैध यात्रा टिकट के साथ अधिकृत यात्री के नाते यात्रा कर रहा था । तदनुसार इस मुद्दे का निर्धारण आवेदक के पक्ष में किया जाता है ।

3. **क्या मृतक की मृत्यु रेल अधिनियम की धारा 124-ए (धारा 123 (सी) के साथ पठित) के अनुसार दावा आवेदन में अभिकथित अनपेक्षित दुर्घटना की वजह से हुई ?**

दावा आवेदन के अनुसार मृतक अनारक्षित रेल यात्रा टिकट सं. 90518476 दिनांक 29.12.2017 खरीद कर खालतिपुर से वर्धा जंक्शन की यात्रा गीतांजलि एक्सप्रेस से कर रहा था। ट्रेन में अत्याधिक भीड होने और चलती ट्रेन को अचानक लगे जोर के झटके के कारण अपने शरीर का संतुलन खो जाने से मृतक सेलु रोड स्टेशन और सेवाग्राम स्टेशन के बीच किमी सं. 766/23-25 मौजा पवनार शिवार के पास चलती ट्रेन से नीचे गिर कर गंभीर रुप से जख्मी हो गया और घटना स्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई।

प्रतिवादी रेलवे ने कहा कि दावा आवेदन के अनुसार मृतक गीतांजलि एक्सप्रेस से यात्रा कर रहा था और दिनांक 01.01.2018 को उक्त ट्रेन सेलु रोड से 09.01 बजे थ्रू गई थी एवं मृतक की बॉडी 05.00 बजे मिली थी। अतः साबित होता है कि मृतक ट्रेन सं. 12860 गीतांजलि एक्सप्रेस से यात्रा नही कर रहा था। सभी परिस्थितियां स्पष्ट करती हैं कि यह स्वयं को पहुंचाई गई चोट का स्पष्ट मामला है जिसके लिए रेल प्रशासन जिम्मेदार नही है। अतः प्रतिवादी रेलवे आवेदक को मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं है

दिनांक 01.01.2018 को समय 07.30 बजे ऑन ड्यूटी स्टेशन प्रंधक/ सेवाग्राम ने लिखित मेमो (एक्जीबीट -1) जारी कर पुलिस स्टेशन/ सेवाग्राम को सूचित किया कि एक अज्ञात व्यक्ति उम्र अंदाजन 35-40 वर्ष लिंग पुरुष, सेलूरोड स्टेशन एवं सेवाग्राम स्टेशन के बीच अप/डाउन रोड पर किमी 766/23-25 पर पडा है। यह व्यक्ति मृत/ घायल अवस्था में पड़ा है। यह स्थान स्टेशन के सभी सिगनलों के बाहर है तथा उक्त स्थान आपके कार्यक्षेत्र के अधीन है। यह आपके सूचनार्थ तथा आगे की उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित। उक्त सूचना प्राप्त होते ही सेवाग्राम पुलिस ने घटना स्थल अटेंड किया और घटना स्थल एवं इंक्वेस्ट पंचनामा तैयार किया । घटना स्थल पंचनामा में मृतक के पास से एक आधार कार्ड सं. 6308 6343 6082 जब्त किया गया जिस पर अंग्रेजी में RAKIUL ISLAM, KALAM SEKH, DOB 19/01/1996 और पता CHARBABUPUR, RAMASHANKAR TOLA, SULTANGANJ RAJNAGAR, MALDA, WEST BENGAL-732201 लिखा है। साथ ही मृतक के पास से एक झेन कंपनी का मोबाइल और खालतिपुर से वर्धा तक का रेलवे टिकट जब्त किया गया।

जांच के दौरान आरपीएफ/ सेवाग्राम द्वारा दिनांक 11.08.2020 को श्री बरोडी सुपुत्र चिकु उईके/ ट्रेकमैन / सेवाग्राम का बयान दर्ज किया जिसे एक्जीबीट आर-1 के तौर पर दाखिल किया गया है। अपने बयान में उसने बताया कि वह पिछले 20 वर्ष से सेवाग्राम में कार्यरत है। दिनांक 31.12.2017 को उसकी ड्यूटी ट्रेकमैन के तौर पर 22.00 बजे से 06.00 तक किमी सं. 766/00 से 769/00 तक पेट्रोलिंग करने की थी। ड्यूटी पर उसके साथ सहकर्मी प्रशांत कोसूडकर भी था। पेट्रोलिंग के दौरान किमी सं. 766/23-25 अप

लाइन पर उसे एक अज्ञात व्यक्ति मृत अवस्था में पडा मिला जिसके सिर पर गंभीर चोट लगी हुई थी। इसकी सूचना तत्काल उसने पीडब्ल्यूआई श्री प्रशांत रंजन की दी तथा समय 07.00 बजे श्री हरिशंकर पटेल को घटना स्थल निगरानी हेतु लगाया गया जिसके बाद वे ड्यूटी से ऑफ हुए।

डीआरएम रिपोर्ट के जांच निष्कर्ष के अनुसार उक्त प्रकरण की जांच में एकत्र किए गए दस्तावेजों के अनुसार मृतक के पास से रेलवे टिकट खालतिपुर से वर्धा जंक्शन तक पाया गया परंतु मृतक के मौसेरे भाई के बयान के अनुसार मृतक रकीउल इस्लाम शेख को नागपुर जाना था। दावाकर्ता द्वारा दर्ज बयान में दर्शित मोबाइल क्रमांक पर सहयात्री से संपर्क नहीं हो सका जिस वजह से सहयात्रियों से बात नहीं हो पायी। मृतक रकीउल इस्लाम शेख द्वारा ट्रेन से यात्रा कर घटना स्थल पर मृत पाए जाने के कारणों का पता नही चल पाया। जांच में ऐसा कोई साक्ष्य नही मिला जिसने मृतक को घटनास्थल पर गिरते हुए देखा हो। संजय बलिराम धांडे के पास से रेल यात्रा टिकट नासिक रोड से खंडवा पाया गया।

घटना स्थल पंचनामा में मृतक के पास से एक आधार कार्ड सं. 6308 6343 6082 जब्त किया गया जिस पर अंग्रेजी में RAKIUL ISLAM, KALAM SEKH, DOB 19/01/1996 और पता CHARBABUPUR, RAMASHANKAR TOLA, SULTANGANJ RAJNAGAR, MALDA, WEST BENGAL-732201 लिखा है। साथ ही मृतक के पास से एक झेन कंपनी का मोबाइल और खालतिपुर से वर्धा तक का रेलवे टिकट जब्त किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि मृतक रकीउल इस्लाम खालतिपुर से वर्धा जंक्शन की यात्रा कर रहा था और मिड सेक्शन में किमी सं. 766/23-25 अप लाइन पर चलती ट्रेन से दुर्घटनावश गिर जाने के कारण गंभीर रुप से जख्मी होने से घटना स्थल पर ही मृत हो गया था।

Hon'ble Apex Court in case of Rina Devi in Civil Appeal No. 4945 of 2018 decided on 09/05/2018 observed that unless negligence is callous and imprudent and there is an intent to harm, it cannot be termed as Self Inflicted Injury. Self-inflicted injury has been defined as an injury suffered by a person with intention to suffer harm. In this case, there is no such intent in the instant case. No cogent evidence could be adduced by the Respondent which may establish that the applicant injured due to self inflected injury or any other reasons. Thus based on above facts and other evidences placed on record, it is clearly established that the accidental fall of applicant while boarding the train was an untoward incident resulting into injuries to applicant.

यह घटना रेलवे स्टेशन परिसर में हुई है इसलिए रेलवे अपनी स्ट्रीक्ट लाइबिलिटी से बच नहीं सकती। यदि कोई अधिकृत यात्री यात्रा के दौरान चलती ट्रेन से स्टेशन पर या मिड सेक्शन में गिरकर जख्मी होकर मृत या घायल हो जाए तो इसे अनपेक्षित दुर्घटना ही माना जाएगा।

अतः हमारे विचार में मृतक अनपेक्षित दुर्घटना में घायल होकर मृत हुआ है और रेलवे, आवेदक को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है।

अतः यह मुद्दा आवेदक के पक्ष में उत्तरित किया जाता है।

4. राहत ?

मुद्दा क्रमांक 2 और 3 आवेदक के पक्ष में उत्तरित होने के कारण यह माना जा सकता है कि मृतक ट्रेन का वास्तविक यात्री था और अनपेक्षित दुर्घटना में मृत हुआ था। आवेदक मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः इस मामले में निम्न आदेश पारित किया जाता हैः-

आदेश

यह दावा आवेदक के पक्ष में निर्णीत किया जाता है। प्रतिवादी रेलवे द्वारा आवेदक को रु.8,00,000/- (रु. आठ लाख मात्र) का मुआवजा देने का आदेश दिया जाता है। आवेदक को विलंब माफी की तिथि अर्थात 09.10.2020 से इस आदेश की तिथि तक मुआवजा राशि पर 6% साधारण ब्याज की दर से ब्याज भी प्रदान किया जाता है। प्रतिवादी रेलवे को आवेदक के बैंक खाते में जिसे एक्जीबिट ए-9 चिन्हित किया गया है, में मुआवजा राशि का भुगतान करने के लिए आदेश की तिथि से 30 दिन का समय दिया जाता है। प्रतिवादी रेलवे सावधानीपूर्वक आवेदक के उक्त दस्तावेजों के सभी तथ्यों का सत्यापन कर आवेदक को उसकी मुआवजा राशि का वितरण नीचे दिए गए निर्देशों के तहत आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर करेगा। यदि प्रतिवादी रेलवे आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर आवेदक को मुआवजा राशि का भुगतान करने में असफल रहता है तो आवेदक को उसकी मुआवजा राशि पर इस आदेश की तिथि से भुगतान की तिथि तक 9% प्रतिवर्ष की दर से आगे का ब्याज (Future Interest) प्राप्त करने की हकदार होंगी। मुआवजा राशि का वितरण निम्नानुसार है –

आवेदक का नाम	मुआवजा राशि	मुआवजा राशि का वितरण	
		नकद राशि	एन्यूटी राशि/ सावधी जमा
श्री कलाम शेख सुपुत्र साहिद शेख	रु. 8,00,000/-	रु. 80,000/- + ब्याज	रु. 7,20,000/-

प्रतिवादी रेलवे सावधानीपूर्वक आवेदक के उक्त दस्तावेजों के सभी तथ्यों का सत्यापन कर आवेदक को उनकी ब्याज सहित मुआवजा राशि का वितरण उपर दिए गए निर्देशों के तहत आवेदक के बैंक खाता में जिसे एक्जीबिट एक्जीबिट ए-9 चिन्हित किया गया है, में आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर करेगा । यदि प्रतिवादी रेलवे आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर आवेदक को मुआवजा राशि का भुगतान करने में असफल रहता है तो आवेदक को उनकी मुआवजा राशि पर इस आदेश की तिथि से भुगतान की तिथि तक 9% प्रतिवर्ष की दर से आगे का ब्याज (Future Interest) प्राप्त करने के हकदार होंगे ।

In case Respondent Railway is not able to deposit the amount in the applicant's bank accounts due to discrepancies in the bank details received etc., the Respondent Railway can deposit the amount in suitor's money account of RCT after securing an order from this bench stating the reasons about inability to transfer the decretal amount in Applicant's bank account. Further it is mandatory, that before or after depositing the amount, concerned official of the Railways shall serve a notice upon claimant and their counsel informing that amount has been deposited in the account of Additional Registrar of concerned Bench.

In case of merger of nationalized bank, the applicants are directed to produce the revised mandate from the concerned bank and the respondents are directed to verify the bank mandate details and arrange the payment directly and also to ascertain the bank is situated at nearby place of residence of applicant. There is no specific direction or interference from the Tribunal is necessary but it is only for the cases of merger of nationalize bank.

आवेदक को उसकी मुआवजा राशि से 10% राशि जो रु. 80,000/- (रु. अस्सी हजार मात्र) है एवं ब्याज की राशि निकालने की अनुमति दी जाती है । इस प्रकार आवेदक को मिलने वाली ब्याज सहित कुल राशि को उसके बचत बैंक खाते में ई.सी.एस. द्वारा जमा किया जाए ।

आवेदक की शेष मुआवजा राशि रु.7,20,000/- (रु. सात लाख बीस हजार मात्र) को रु.20,000/- की 36 (छत्तीस) समान भागों में एफ.डी. विभाजित कर आवेदक के बैंक खाते में राष्ट्रीयकृत बैंक की ब्याज अर्जित करने वाली फिक्स डिपॉजिट योजना (Annuity Scheme) में निवेश किया जाए। बैंक द्वारा प्रतिमाह एक मासिक जमा राशि + ब्याज की एक एफ.डी. को क्रमानुसार आवेदक के बैंक खाते में अंतिम एफ.डी. के भुगतान तक जमा किया जाएगा । इस तरह आवेदक को उसके मासिक खर्च हेतु मुआवजा राशि की एक एफ.डी. की ब्याज सहित परिपक्कता राशि (Amount of Maturity, including interest) अंतिम एफ.डी. के भुगतान तक प्रतिमाह प्राप्त होती रहेगी ।

प्रतिवादी रेलवे को निर्देश दिया जाता है कि वह जजमेंट की कॉपी और ट्रान्सफर की गई राशि का यू.टी.एस. और अन्य विवरण बैंक को अनिवार्य रूप से दे और इसकी सूचना रेल दावा अधिकरण, नागपुर पीठ को अनिवार्य रूप से दी जाए ।

प्रतिवादी रेलवे इस आदेश के जारी होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट इस बेंच के रजिस्ट्री विभाग में जमा करेगा। प्रतिवादी रेलवे ब्याज की गणना करने की शीट सहित मुआवजा राशि जमा करने के साक्ष्य रिकार्ड पर दाखिल करेगा ।

आवेदक की ओरिजनल एफ.डी बैंक अपनी सेफ कस्टडी में रखेगा। तथापि बैंक एफ.डी.आर. संख्या, एफ.डी.आर. की राशि, परिपक्वता की तारीख एवं परिपक्वता राशि दर्शाने वाले संपूर्ण विवरण एवं एफ.डी. की झेरॉक्स प्रति आवेदक को प्रदान करेगा । बैंक को यह निर्देश दिया जाता है कि वह इन नियत निक्षेप (FIXED DEPOSIT) पर रेल दावा अधिकरण, नागपुर की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का ऋण, अग्रिम निकासी या समय पूर्व भुगतान ना करें ।

बैंक को यह भी निदेश दिया जाता है कि बैंक मुआवजा राशि की निकासी के लिए आवेदक को किसी भी प्रकार की चेक बुक या डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड जारी नही करेगा । यदि चेक बुक या डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड पहले से जारी किया गया हो तो बैंक को निर्देश दिया जाता है कि वह उसे निरस्त करेगा और आवेदक की पासबुक पर यह प्रविष्टि करेगा कि रेल दावा अधिकरण की अनुमति के बिना आवेदक को चेक बुक या डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। आवेदक के बैंक को यह निर्देश दिया जाता है कि वह केवल निकासी फार्म से ही बचत खातों से राशि निकालने की अनुमति प्रदान करेगा । बैंक आवेदक के बचत खातों एवं फिक्स डिपॉजिट खातों पर किसी भी प्रकार के संयुक्त खाते की अनुमति नहीं देगा।

उपरोक्त आदेशानुसार आवेदक को मुआवजा राशि का भुगतान किया जाए । तथापि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता है । दावा फाईल अभिलेख विभाग को सुपुर्द की जाए ।

पी.एस. को डिक्टेशन दिया एवं टाइप करने के बाद सुधार कर दिनांक 23.10.2023 को खुले कोर्ट में अधिघोषित किया गया।

(सैयद निशात अलि)
सदस्य (तकनीकी)

(सुश्री आर. सत्यभामा)
सदस्य (न्यायिक)

नागपुर.
दिनांक: 23.10.2023.
#SK#